न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/4916/2003/बाडमेर

1—कुम्भाराम पुत्र श्री हीराराम जाति भाट निवासी भलों की ढाणी (बारासंण) तहसील गुणामालानी जिला बाडमेर

—अपीलांट

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर
3— उप—वन संरक्षक, वन विभाग, जिला बाडमेर

—रेस्पोडेंटस

खण्ड पीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री सूरज भान जैमन, सदस्य

उपस्थितः—
(1) श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड अपीलांट की ओर से
(2) श्री वी0पी0सिंह राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2

निर्णय

दिनांक : 2—8—2018

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर के निर्णय दिनांक 30.06.2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 1245 रकबा 650 बीघा 11 बिस्वा हाल खसरा संख्या 1245/7 रकबा 625 बीघा एवं हाल खसरा संख्या 1245 रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा में से 70 बीघा भूमि बावत खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने,राजस्वरिकार्ड में तदानुसार अमल दरामद किये जाने व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने बावत पेश किया।

प्रतिवादी/रेस्पोडेंट ने जबाव पेश कर वाद का विरोध किया। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29–3–2003 द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया। जिसके विरुद्ध अपील संख्या 26/03 शीर्षक कुम्भाराम बनाम सरकार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेरके समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान अपील अधिकारी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–6–2003 से उक्त अपील को खारिज कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–3–2003 को यथावत रखा। उक्त दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध हस्तगत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्य तर्क यह दिया है कि दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों ने वादी अपीलांट का वाद वअपील को खारिज करने में कानूनी एवं तथ्यों की भारी भूल की है। यह कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार तनकीयात कायम नही किये है जबकि आदेश 14 नियम 1 सीपीसी के अनुसार दावे में तनकीयात कायम करनी चाहिए थी इसके बाद ही तदानुसार निर्णय पारित करना चाहिए था। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निर्णय में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों का किसी तरह का तुलनात्मक विवेचन व विश्लेषण नही किया है। उनका आगे तर्क है कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट संख्या दो को आवंटन की गयी थी तब अपीलांट की विवादित आरजाी में ढाणी बनी हुई थी। बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये व बिना कानूनी प्रक्रिया अपना कर कब्जा हटाये और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना किये बिना जो आवंटन कियागयाहै वह अवैध होने से खारिज कर अपीलांट को खातेदार कृषक घोषित करना चाहिए था किन्तु दोनो ही अधीनस्थ

न्यायालयों ने जो निर्णय पारित किये है वे निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निर्णयों में विवादित आराजी को चारागाह भूमि होना बतलाया है जबकि विवादित आराजी गोचर भूमि नही होकर गैर मुमकिन धोरा है जिसे डीडब्ल्यू 2 ने अपने बयानों में स्वीकार किया है। उनका आगे तर्क है कि विवादित आराजी में अपीलांट की रहवासी ढाणी बनी हुई है जो वक्त सैटलमेंट से पूर्व की है जिसमें वन विभाग का किसी प्रकार से अधिपत्य नही है। दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों ने बिना आधार व पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत निर्णय पारित किये है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील स्वीकार कर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व डिक्री को निरस्त करने व वाद/वादी डिक्री करने का निवेदन किया।

6— इसके विपरीत विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपीलांट की ओर से की गयी बहस का खण्डन किया और बताया कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर है, जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही है। उनका आगे तर्क है कि वादी अपीलांट विवादित आराजी पर अपना कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने की दिनांक 15 अक्टूॅबर 1955 से सिद्ध नही कर पाया है। उसने अपने आपको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने अर्थात सं0 2012 या 2016 में विवादित भूमि पर किसी प्रकार से टीनेंन्ट सिद्ध नही किया है। उनका यह भी तर्क है कि राजकीय भूमि पर एडवर्ष पजेशन के आधार पर खातेदारी नही दी जा सकती है। जहॉ तक पुराने कब्जे के आधार पर नियम या आवंटन करने का प्रश्न है, इसके लिए अपीलांट को विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही करनी चाहिए थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत वाद के जरिये नियमन या आवंटन बावत कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ

न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय कानून सम्मत व विधि के प्रावधानों के अनुकूल होने से अपील खारिज करने का निवेदन किया।

7— हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने विवादित आराजी पर सैटलमेंट से पूर्व से लगातार अपना कब्जा होना बताया है लेकिन अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्ययथा खसरा परिवर्तनशील इत्यादि के अनुसार वादी का वक्त सैटलमेंट से लगातार कब्जा होना सिद्ध नही होता है। विवादित आराजी की जमाबन्दी सं0 2053 से 55 के अनुसार ग्राम भीलों की ढाणी के खसरा नंबर 1245 रकबा 650 बीघा 11 बिस्वा भूमि किस्म गैर मुमकिन धोरा चारागाह हेतु दर्ज है जिसमें से 625 बीघा भूमि उप वन संरक्षक बाडमेर को आवंटन होने पर नामा0 संख्या 112 दिनांक 17—5—97 वन विभाग बाडमेर के हक में स्वीकृत किया जाकर उक्त आराजी वन विभाग के नाम अंकित की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजी उबड — खाबड है जो कांटेदार झाडियों की है। चूँकि विवादित आराजी पर वादी/अपीलांट ने अपना कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने अर्थात सं0 2012 या 2016 में होना या अपने आप को टीनेंट होना सिद्ध किसी भी दस्तावेज से नही किया है। उसने विवादित आराजी पर अपना कब्जा सं02035 से होना माना है, जिससे उसे अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय में दावा पेश करने का भी कानून अधिकार नही था। चूकि विवादित आराजी अपीलांट को धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी प्रदान नही की जा सकती है। यदि विवादित आराजी पर उसका कोई कब्जा रहा भी है तो वह एक अतिक्रमी की हैसियत से रहा है जिसे समय समय पर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत बेदखल किया जाता रहा है, जिससे विवादित आराजी पर

वादी/अपीलांट का लगातार कब्जा भी सिद्ध नही है। एवं एडवर्ष पजेशन के आधार पर भी खातेदारी अधिकार उद्भूत होने का प्रावधान नही है। जहॉ तक वादी/अपीलांट का दौराने बहस यह कथन कि दावे में तनकीयात कायम नही की गयी है, गलत है, जबकि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि परीक्षण न्यायालय ने वाद बिन्दुओं का निर्धारण किया जाकर दोनो पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दावे में तीन तनकियात कायम की गयी है जिनका विश्लेषण किया जाकर व दोनो पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद ही दावा वादी प्रमाणित नही होने पर खारिज किया है, जिसकी अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने पर उन्होने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–6–2003 के द्वारा विस्तृत निर्णय पारित कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पुष्टि की गयी है। दोनो अधीनस्थ न्यालया द्वारा पारित निर्णय विस्तृत व समवर्ती है, समवर्ती निर्णयों में हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नही समझते है। परिणामतः हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8– फल स्वरुप यह यह द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–6–2003 उपं उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–3–2003 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सूरज भान जैमन) (वी.श्रीनिवास)

सदस्य अध्यक्ष

ऐसी स्थिति में विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादी के दावे को स्वीकार कर वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं कानूनी त्रुटि नही है। जिसकी प्रथम अपील विद्वान अपील अधिकारी के समक्ष पेश होने पर उन्होने भी अपने सारगर्भित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–1–14 के द्वारा अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4–4–11 को यथावत रखा गया है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री समवर्ती है, जिनमें हम हस्तगत द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझते है। परिणामस्वप हस्तगत द्वितीय अपील सारीहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–1–14 एवं

उपखण्ड अधिकारी बानसूर (अलवर) द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4–4–2011 यथावत रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्यामलाल गुर्जर)
सदस्य

(प्रियव्रत पंड्या)
सदस्य

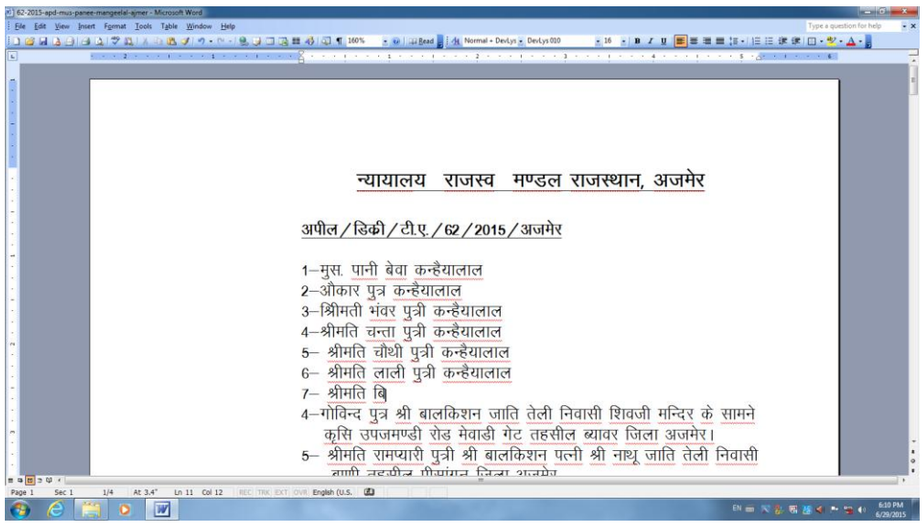

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टी.ए. / 62 / 2015 / अजमेर

1–मुस. पानी बेवा कन्हैयालाल
2–औकार पुत्र कन्हैयालाल
3–श्रीमती भंवर पुत्री कन्हैयालाल
4–श्रीमति चन्ता पुत्री कन्हैयालाल
5– श्रीमति चौथी पुत्री कन्हैयालाल
6– श्रीमति लाली पुत्री कन्हैयालाल
7– श्रीमति बि
4–गोविन्द पुत्र श्री बालकिशन जाति तेली निवासी शिवजी मन्दिर के सामने कूसि उपजमण्डी रोड मेवाडी गेट तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
5– श्रीमति रामप्यारी पुत्री श्री बालकिशन पत्नी श्री नाथू जाति तेली निवासी

बनाम

श्री अशोक कुमार,सदस्य
श्री बी. एस. गर्ग, सदस्य

उपस्थितः–
(1)श्री शान्तीप्रकाश ओझा अधिवक्ता अपीलांट।
(2)श्री जी.एस.लखावत, अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से
(3)श्री के.के. पुरोहित, अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से
(4)श्री अशोक नाथ अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से
(5)श्री एस.के. सेठी अधिववक्ता रैस्पो. की ओर से

निर्णय

दिनांकः जुलाई, 2015

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–1–10 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है जिसके व्दारा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–10–08 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 3 / 09 उनवानी माधु आदि बनाम गोविन्द आदि को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकरी, ब्यावर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–10–08 निरस्त किया जाकर वाद वादी संख्या 77 / 08 को स्वीकार किया गया है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण / रैस्पो. संख्या 1ता 4 ने एक दावा संख्या 33 / 07 अन्तर्गत धारा 53–183–188 आरटीए उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधो आदि ने उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक खसरा नम्बर 13 से बने हाल खसरा नम्बर 35 की 2.04.10 बीघा भूमि (अपील में विवादित आराजी कहा जावेगा) वादीगण के पूर्वज मोडालाल पुत्र सूरजमल थे, जिसकी मृत्यु के बाद यह आराजी उसके पुत्र ईश्वरचन्द को प्राप्त हुयी और ईश्वरचन्द की मृत्युके बाद विवादित आराजी उसके पुत्र छोटूलाल को प्राप्त हुई और छोटूलाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बल्देव को प्राप्त

हुई। बल्देव के दो पुत्र ख्याली व चुन्नीलाल हुए। वादीगण चुन्नीलाल के उत्तराधिकारी है। ख्याली के एक पुत्र बालशिन हुआ। बालकिशन के प्रतिवादी संख्या 1से 7 उत्तराधिकारी हुए। राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी प्रतिवादीगण के नाम से अंकित है। प्रतिवादीगण का कभी भी विवादित आराजी पर कब्जा नही रहा । विवादित आराजी पर हमेशा से ही कजा वादीगण का चला आ रहा है। वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सम्पूर्ण विवादित आराजी के खातेदार हो चुके है। विकल्प में निवेदन किया कि बल्देव की मृत्यु के बाद भूमि ख्याली व चुन्नीलाल को प्राप्त हुई थी, परन्तु राजस्व रिकार्ड में केवल प्रतिवादीगण का नाम ही अंकित है। विकल्प के रुप में यह अनुतोश मांगा कि वादीगण 1/2 हि. जो विरासत में चुन्नीलाल को प्राप्त होनी थी ,का खातेदार काश्तकार घोसित किया जावे। विवादित आराजी की राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती की जाकर वीदगण के नाम का अंकन किया जावे तथा 1/2 हि. का विभाजन कर कब्जा दिलवाया जावे। प्रतिवादीगण /रैस्पो. अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण ने दिनांक 21–7–07 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण/रैस्पे0 संख्या 1–4व्दारा प्रस्तुत दावे में दावे के आधार दस्तावेज प्रस्तुत नही किये हैं तथा विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पिता बालकिशन व्दारा जरिये रजि. विक्रय पत्र क्रय की गयी है,जिसमें वादीगण का कोई हक व अधिकार नही है। दावे के आधार दस्तावेज पेश नही होने के कारण दावा संधारण योग्य नही है, इसलिए दावा खारिज किया जावे। प्रार्थना पात्र का वादीगण/रैस्पोडेंटस ने जबाव पेश किया । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–8–07 व्दारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 14–8–07 के विरुद्ध वादीगण/ रैस्पो0 1ता4 ने प्रथम अपील संख्या 199/07 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधू आदि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16–1–08 व्दारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय व्दारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–8–07 खारिज कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेसित कर दिया कि वाद में तनकी कायम कर दोनो पुक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। रिमाण्ड प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्राप्त होने पर दावा संख्या 17/08 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधू आदि दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही प्रारंभ की व अपने निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 21–10–08 व्दारा दावा खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 21–10–08 के विरुद्ध प्रथम अपील संख्या 3/09 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधु आदि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24–5–10 व्दारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–10–08 खारिज कर दिया तथा वादी वादी स्वीकार कर वादीगण/ रैस्पो. को 1/2 हि. का खातेदार काश्तकार घोसित कर दिया। तथा परीक्षण न्यायालय को विभाजन कार्यवाही करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेसित कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–5–10 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्षीय अधिवक्तागण की अपील गुणावगुण पर बहस सुनी गयी।

9— अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हम प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 16—4—2009 में कोई त्रुटि नहीं पाते, लिहाजा, अपील खारिज की जाती है और प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16—4—2009 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी. एस. गर्ग)
सदस्य

(अशोक कुमार सांवरिया)
सदस्य